ngh. 2009.doc- 289 -

(18)

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु.-3) विभाग

क्रमांक-एफ.6(5)(2)प्र.सु. / अनु.-3 / 2006 / जयपुर, दिनांक 19.1.2011

आदेश

समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आयुवर्ग 3-6 वर्ष के बच्चों को वितरीत किये जाने वाले गरम पूरक पोषाहार दलिया/खिचडी/नाश्ता एवं आयुवर्ग 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं तथा किशोरी बालिकाओं को वितरीत किये जाने वाले आरटीई पूरक पोषाहार के प्रबन्धों की देखरेख/समीक्षा हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पोषाहार प्रबन्धन समिति का गठन किया जाता है : -

1.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	--	अध्यक्ष
2.	उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग	--	सदस्य सचिव
3.	बाल विकास परियोजना अधिकारी (जिला मुख्यालय पर पदस्थापित)	--	सदस्य
4	लेखा सेवा का अधिकारी (लेखाधिकारी के पद से कम न हो)	--	सदस्य

उक्त समिति जिला स्तरीय पोषाहार गुणवत्ता समिति की रिपोर्ट पर समीक्षा करेगी कि पूरक पोषाहार भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार दिया जा रहा है। यह समिति पूरक पोषाहार की गुणवत्ता एवं वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों पर भी विचार करेगी एवं पायी जाने वाली कमियों को दूर करने के लिए सुझाव देगी। जिला स्तर पर उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग इस कार्यक्रम के प्रभारी होंगे। लेखा सेवा के अधिकारी का मनोनयन अध्यक्ष के द्वारा किया जावेगा। समिति की बैठक प्रतिमाह आयोजित की जावेगी।

इस समिति का प्रशासनिक विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग (निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं) राजस्थान, जयपुर होगा।

आज्ञा से

18.1.11

शासन उप सचिव

क्रमांक-एफ.6(5)(2)प्र.सु. / अनु.-3 / 2006 / जयपुर, दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सहायक, आयुक्त महिला अधिकारिता एवं पदेन शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
9. निजी सहायक, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
10. अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार) समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
11. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, समस्त।
12. रक्षित पत्रावली।

19/1/11

अनुभागाधिकारी